(60)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1079–दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–3–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 प्रकरण कमांक 40/2016–17/अ.मा.

हरिमोहन श्रीवास्तव पुत्र श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव
निवासी ग्राम चन्दहरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

सत्येन्द्र श्रीवास्तव पुत्र नरेन्द्र श्रीवास्तव
निवासी वार्ड नं. 11, बडा बाजार गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

——— अनावेदक

....

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक आवेदक
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 20–3–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक हरीमोहन श्रीवास्तव ने तहसीलदार गोहद के प्रकरण कमांक 52/2016–17/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 16–2–2017 के विरूद्ध अपील पेश की है। अपील के साथ संहिता की धारा 52 का आवेदन भी प्रस्तुत किया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 20–3–2017 को आदेश पारित करते हुये अपील को पंजीबद्ध किया तथा रेस्पो0 तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब

करने के आदेश दिये और आवेदक का धारा 52 का आवेदन निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार गोहद के प्र0क0 1/10/अ–16 के आदेश दिनांक 29–12–2011 को विवादित भूमि मौजा चंदहरा तहस0 गोहद के सर्वे कमांक 1079 रकवा 1.80 हैक्टेयर पर फलदार वृक्षारोपण हेतु अनुमति देकर पट्टा प्रदान किया। ज़िस पर आवेदक का कई वर्षों पूर्व से कब्जा कर खेती की जा रही थी उसे पट्टे मिली भूमि उसके स्वामित्व की है। आवेदक के नियम एवं शर्तों का पालन कर परिश्रम तथा धन व्यय कर फलदार वृक्षारोपण कर भूमि अधिक विकसित कर लिया है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने बिना सूचना दिये अनावेदक की शिकायत पर आवेदक के विरूद्ध जांच कराकर आदेश पारित कर दिया गया तथा पूर्व में दिया गया पट्टा निरस्त कर दिया। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गइ थी और धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर बिना आदेश पारित किये उसे निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में स्थगन आदेश दिया जाये।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर अंतरिम आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह भी तर्क किया कि आवेदक द्वारा इस प्रकरण में म0प्र0 शासन को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि म0प्र0 शासन आवश्यक पक्षकार है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में गुण–दोषों पर विचार न किया जाकर मात्र स्थगन के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार गोहद के प्र0क0 1/10/अ–16 के आदेश दिनांक

29–12–2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसके साथ संहिता की धारा 52 का आवेदन पेश किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 20–3–2017 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर अभिलेख मंगाने क आदेश दिये तथा प्रकरण में संहिता की धारा 52 का आवेदन निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने संहिता की धारा 52 के आवेदन पर सकारण आदेश पारित न करते हुये निरस्त करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण एवं मौके की स्थिति को देखते हुये स्थगन के बिन्दु पर सकारण आदेश पारित करना चाहिए था। जहां तक अनावेदक अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि निगरानी में आवेदक द्वारा म0प्र0 शासन के पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण में म0प्र0 शासन को आवश्यक पक्षकार बनाते हुये शासन का पक्ष आवश्यक रूप से सुने।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में आदेश पारित होने के दिनांक से आगामी तीन माह का स्थगन प्रदान करते हुये अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे तीन माह के अन्दर प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर